प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 10 अप्रैल, 2018***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी चन्द्रपाल पुत्र श्री रामफल, निवासी जनपद-मेरठ की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-944/प्रोबे0-5-दयायाचिका/804 दिनांक 08.01.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी चन्द्रपाल पुत्र श्री रामफल, जो ग्राम-लालपुर, थाना-भावनपुर, जनपद-मेरठ का रहने वाला है। बन्दी द्वारा पुत्री के अपहरण के मामले में राजीनामा न करने की रंजिश को लेकर दिनांक 24/25.05.1999 को 05 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चों व रायफल से गोली मार कर 03 व्यक्तियों की हत्या कारित की है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1054/1999 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 307/149, 302/149 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0-4), मेरठ के आदेश दिनांक 25.08.2004 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.12.2005 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास की सजा मे परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.12.2016 तक 17 वर्ष 06 माह 12 दिन की अपरिहार सजा तथा 21 वर्ष 07 माह 22 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी के 04 अन्य सहअभियुक्त कारागार में सजा भुगत रहे हैं। जिला मजिस्ट्रेट एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। समिति द्वारा बन्दी की कारित अपराध की प्रकृति, काटी गयी सजा तथा जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी चन्द्रपाल (बन्दी संख्या-13373) पुत्र श्री रामफल, निवासी जनपद-मेरठ की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-299/2018/77(1)/22-2-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in